भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No. E(P&A)II/2023/PP-3

RBE No. 69 /2023 New Delhi, dated 11 .05.2023

The General Managers (P)
All Indian Railways
& Production Units etc.

Sub: Fixation of pay of State Government Employees on appointment to the posts under the administrative control of Ministry of Railways subsequent to the implementation of RS (RP) Rules, 2016.

The method of fixation of pay of State Government servants on appointment to posts under the administrative control of Ministry of Railways has been spelt out in Board's letter Nos. E (P&A)-II-2001/PP-7 dated 02-08-2001 and E (P&A)-II-2016/PP-1 dated 23-06-2016. The question of fixation of pay in such cases consequent upon implementation of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016, has been considered by the Government and the President is pleased to decide that in cases of State Government employees appointed to posts under the administrative control of Ministry of Railways on or after 1.1.2016, pay will be fixed in the following manner:-

- (a) Where the State Government has revised the Pay Scales/Grade Pays of their employees on the pattern of Seventh Central Pay Commission at the base index of 261.41 as per AICPI (IW) 2001 series w.e.f. 1.1.2016, the pay of State Government employees on their appointment to the posts under the administrative control of Ministry of Railways would be fixed as follows:
 - (i) When the appointment is to a post in higher Level, one increment shall be given in the Level from which the employee is appointed and he/she would be placed at a Cell equal to the figure so arrived at in the Level of the post to which appointed and if no such Cell is available in the Level to which he/she is appointed, he/she would be placed at the next higher Cell in that higher Level. However, if the amount so arrived at after adding the increment in lower Level is less than the minimum pay or the first Cell in the higher Level, the pay shall be fixed at minimum pay or first Cell of the higher Level.

- (ii) Where the appointment is to a post involving identical Level, the individual shall continue to draw the same pay.
- (b) Where the State Government has revised the Pay scales/Grade Pays of their employees after 1.1.2016 beyond the base index of 261.41 as per AICPI (IW) 2001 series, the basic pay of the employee is to be determined first in the Central Pay Matrix by reducing the element of DA, ADA, IR etc. granted by the State Government after 1.1.2016 beyond the base index of 261.41 as per AICPI (IW) 2001 series and thereafter the pay would be fixed as provided in the clauses (i) and (ii) under sub-para (a) above.
- (c) Where the State Government has either not revised or revised the pay scale of their employees on or after 1.1.2016 below the base index of 261.41 as per AICPI (IW) 2001 series, the basic pay of these employees shall be determined first in the Central Pay Matrix, by adding the element of DA, ADA upto the base index of 261.41 as per AICPI (W) 2001 series, granted by the State Government and thereafter their pay would be fixed as provided in the clause (i) and (ii) under sub-para (a) above.
- 2. These orders are applicable to employees of the State Government and Local Bodies under the State including Emergency Divisional Accountants/Divisional Accountants appointed to a post under the administrative control of the Ministry of Railways on or after 1.1.2016.
- 3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

[Authority: DoPT's OM No. 12/2/2016-Estt. (Pay-I) dated 11th May, 2017]

(N.A.Singh)

Director, Estt. (P&A)

Railway Board

Email ID: nirbhay.singh26@gov.in

New Delhi, dt. 11 .05.2023

No. E(P&A)II/2023/PP-3

 Copy forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi.

2. The PFAs, All Indian Railways & Production Units etc.

(Kraligar

For Member (Finance)/Railway Board

No. E(P&A)II/2023/PP-3

New Delhi, dt. 11 .05.2023

Copy to :-

- 1. The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.
- 2. Director General RDSO Lucknow.
- The Director (a) IRIEEN, Nasik, (b) IRICEN, Pune, (c) IRIMEE, Jamalpur, (d) IRISET, Secunderabad
- 4. The Principal, Railway Staff College, Vadodara.
- 5. The Chairman RCC Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
- 6. The Chairman RRT, Chennai.
- 7. The Chairman RCT, Delhi.
- 8. The Chairman RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bilaspur, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Kolkata, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad and Trivandrum.
- 9. The General Manager CORE, Allahabad.
- 10. The Editor, 'Bhartiya Rail' Room No.469, Rail Bhawan, New Delhi.
- 11. The Editor, 'Indian Railways' Room No. 411, Rail Bhawan, New Delhi.
- 12. The Editor, 'Rail Rajbhasha', Room No.543, Rail Bhawan, New Delhi.
- 13. The Chairman, Passenger Services Committee, 218, Rail Bhawan, N.Delhi.
- 14. The C.A.O.(R) COFMOW, Tilak Bridge, New Delhi.
- 15. The Director, CAMTECH/Gwalior.
- 16. The C.A.Os,(a) MTP(R) Mumbai, (b) MTP(R) Chennai.
- 17. Office of the Chief Project Administrator (Telecom), Indian Railway Centre Organization for Telecom Consultancy, Shivaji Bridge, New Delhi.
- 18. The Chief Mining Advisor, Ministry of Railways, Dhanbad,.
- 19. The C.A.O.(Const). Central Railway, Mumbai.
- 20. The Gen. Secy., IRCA, DRM Office Complex, State Entry Road, N.Delhi.
- 21. The GM, CAO/FOIS Office, NR, CRIS Camp Chanakayapuri, New Delhi.
- 22. M/s Bahari Brothers, 742, Lajpat Rai Market, P.O. Box No. 2032, Delhi -06.

(N.P. Singh)

Director, Estt. (P&A)

Railway Board

Email ID: nirbhay.singh26@gov.in

4th Floor, Room No.10, COFMOW Building, Tilak Bridge, New Delhi-02

No. E(P&A)II/2023/PP-3

Copy to:-

- i. The General Secretary, AIRF.
- ii. The General Secretary, NFIR.
- iii. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary/ Staff side, National Council, 13-C Ferozeshah Road, New Delhi.
- iv. The Secretary General, FROA.
- v. The Secretary General, IRPOF.
- vi. The Secretary General, All India RPF Association.
- vii. The Secretary, Indian Railways Class II Officers' Association.
- viii. The Secy., RBSS, Group 'A' Officers' Association, Room No.402, Rail Bhawan, ND.
- ix. The Secretary, Railway Board Group 'B' Officers' Association.
- x. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
- xi. The General Secretary, Non-Ministerial Staff Association, Rail Bhawan.
- xii. The General Secretary, Railway Board Secretariat Stenographers Services Association, Rail Bhawan.
- xiii. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association.
- xiv. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.8, Rail Bhawan, New Delhi.
- xv. All India O.B.C. Railway Employee's Association.

xvi. The General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association, Room No. 490 A/16, Gurudwara Road, Gurugram.

For Principal Executive Director/IR Railway Board

Copy to : PSO/Sr. PPSs/PPSs/PSs/PAs to :-

MR, MoSR(J), MoSR (D), CRB & CEO, Member Finance, Member Infra., Member (Traction and Rolling Stock), Member (O&BD), Secretary, DG/RHS, DG/RPF, DG/Safety, AM/HR, AM/R, AM/PU, AM (F), AM/Works, AM/RS, AM/Traffic Transportation, AM(CE), AM(Budget), AM(Mech. Engg.), AM(T&C), AM(Telecom), AM(Plg.), AM/Revenue, AM/Signal, AM/C, AM/L&A, AM/EnHM, AM/RE, AM/Traction, AM/Marketing & Business Development, PED/Chg., PED/TTM, PED/Bridge, PED/Signal, PED/SD, PED/Accounts, PED/EE(RS), PED/Trg.&MPP, PED/Health, PED/Vigilance, PED/Infra, PED/Safety, EDPC/MoSED(Plg), ED(A), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg), ED(Chg), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev), EDEE(G), EDE, ED(EEM), EDE(RRB), EDE(N), EDE(Res), EDF(C), EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), ED(EEM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), ED(LM),

4th Floor, Room No. 10, COFMOW Building, Tilak Bridge, New Delhi-02

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं. ई(पीएंडए)II/2023/पीपी-3

आरबीई सं. *६*९ /2023 नई दिल्ली, दिनांक ।। .05.2023

महाप्रबंधक (कार्मिक) सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।

> विषय: रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के कार्यान्वयन के बाद रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पदों पर नियुक्ति पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण।

रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पदों पर नियुक्ति पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन नियतन विधि की बोर्ड के दिनांक 02-08-2001 एवं दिनांक 23-06-2016 के क्रमश: पत्र सं. ई(पीएंडए)II-2001/पीपी-7 और ई(पीएंडए)-II-2016/पीपी-1 में व्याख्या की गई है। रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ऐसे मामलों में वेतन नियतन के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और राष्ट्रपति द्वारा सहर्ष यह निर्णय लिया गया है कि 1.1.2016 को या उसके बाद रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पदों पर नियुक्त होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामलों में, वेतन निम्नलिखित तरीके से नियत किया जाएगा:

- (क) जहां राज्य सरकार द्वारा 1.1.2016 से अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक भारांक) 2001 श्रृंखला के अनुसार 261.41 के आधार सूचकांक पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रतिरूप पर अपने कर्मचारियों के वेतनमान/ग्रेड वेतन को संशोधित किया गया है वहां रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पदों पर राज्य सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति पर उनका वेतन निम्नानुसार नियत किया जाएगा:
- (i) जब नियुक्ति उच्चतर स्तर के किसी पद पर की जानी है, तब उस स्तर में, जहां कर्मचारी को नियुक्त किया जाना है, एक वेतनवृद्धि दी जाएगी, और उस पद के स्तर में, जिस पर नियुक्त किया गया है, इस प्रकार आकलित आंकड़े के बराबर सेल में रखा जाएगा, और यदि उस स्तर में, जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं है तो उसे उस उच्चतर स्तर में अगले उच्चतर सेल में रखा जाएगा। बहरहाल, यदि निम्नतर स्तर में वेतनवृद्धि को जोड़ने के बाद इस प्रकार आकलित राशि न्यूनतम वेतन या उच्चतर स्तर में पहली सेल से कम है तो वेतन न्यूनतम वेतन या उच्चतर स्तर के पहले सेल पर नियत किया जाएगा।
- (ii) जहां नियुक्ति समरूप स्तर वाले पद के लिए है, वहां व्यक्ति वही वेतन प्राप्त करना जारी रखेगा।
- (ख) जहां राज्य सरकार द्वारा 1.1.2016 के बाद अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक भारांक) 2001 श्रृंखला के अनुसार 261.41 के आधार सूचकांक के उपरांत उसके कर्मचारियों के वेतनमान/ग्रेड वेतन को

संशोधित किया गया है वहां कर्मचारी का मूल वेतन का निर्धारण पहले राज्य सरकार द्वारा 01.01.2016 के बाद अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक भारांक) 2001 श्रृंखला के अनुसार 261.41 के आधार सूचकांक के उपरांत प्रदान किए महंगाई भत्ते, एडीए, अंतरिम राहत आदि के तत्व को घटाकर केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स में किया जाना है और तत्पश्चात उपरोक्त उप-पैराग्राफ (क) के अंतर्गत खंड (i) एवं (ii) में यथा उपबंधित अनुसार वेतन नियत किया जाएगा।

- (ग) जहां राज्य सरकार द्वारा 1.1.2016 को या उसके बाद अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक भारांक) 2001 श्रृंखला के अनुसार 261.41 के आधार सूचकांक से नीचे उसके कर्मचारियों के वेतनमान को शोधित या संशोधित नहीं किया गया है वहां कर्मचारी का मूल वेतन का निर्धारण पहले राज्य सरकार द्वारा 01.01.2016 के बाद अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक भारांक) 2001 श्रृंखला के अनुसार 261.41 के आधार सूचकांक के उपरांत प्रदान किए महंगाई भत्ते, एडीए, अंतरिम राहत आदि के तत्व को जोड़कर केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स में किया जाना है और तत्पश्चात उपरोक्त उप-पैराग्राफ (क) के अंतर्गत खंड (i) एवं (ii) में यथा उपबंधित अनुसार वेतन नियत किया जाएगा।
- 2. ये आदेश 01.01.2016 को या उसके बाद रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पद पर नियुक्त किए आपातकालीन मंडल लेखाकारों/मंडल लेखाकारों सिहत राज्य सरकार और राज्य के अंतर्गत स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए लागू हैं।
- 3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया गया है।

[प्राधिकार: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 11 मई, 2017 का का.ज्ञा. सं. 12/2/2016-एस्टे. (वेतन-1)]

(एन.पी.सिंह)

निदेशक,स्थापना(वेतन एवं भत्ता)

रेलवे बोर्ड

ईमेल आईडी: nirbhay.singh26@gov.in

नई दिल्ली, दिनांक: //.05.2023

सं. ई(पीएंडए)II-2023/पीपी-3

1. प्रतिलिपि प्रेषित: भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नंबर 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।

कृते सदस्य वित्त/रेलवे बोर्ड

विकार गार्मकार्य

सं. ई(पीएंडए)II-2023/पीपी-3 प्रतिलिपि प्रेषित :-

à

नई दिल्ली, दिनांक: 1] .05.2023

- (1) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16 अशोक रोड, लखनऊ।
- (2) महानिदेशक, आरडीएसओ लखनऊ।
- (3) निदेशक, (क) ईरीन, नासिक (ख) इरिसेन, पुणे (ग) इरमी, जमालपुर (घ) इरिसेट, सिकन्दराबाद।
- (4) प्रिंसिपल, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा.
- (5) अध्यक्ष, आरसीसी, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली.
- (6) अध्यक्ष, आरआरटी/चेन्नै।
- (7) अध्यक्ष, आरसीटी, दिल्ली।
- (8) अध्यक्ष, आरआरबी/अजमेर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बिलासपुर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चण्डीगढ़, कोलकाता, जम्मू, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकन्दराबाद और तिरुवनंतपुरम।
- (9) महाप्रबंधक, कोर, इलाहाबाद।
- (10) संपादक, 'भारतीय रेल', कमरा सं.469, रेल भवन, नई दिल्ली।
- (11) संपादक, 'इंडियन रेलवेज़', कमरा सं.411, रेल भवन, नई दिल्ली।
- (12) संपादक, 'रेल राजभाषा', कमरा सं.543, रेल भवन, नई दिल्ली।
- (13) अध्यक्ष, यात्री सेवा समिति, 218, रेल भवन, नई दिल्ली।
- (14) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), कॉफमो, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली।
- (15) निदेशक, कैमटैक/ग्वालियर।
- (16) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, (क) एमटीपी (आर), मुंबई, (ख) एमटीपी (आर) चेन्नै।
- (17) मुख्य परियोजना प्रशासक (टेलीकॉम) का कार्यालय, इंडियन रेलवे सैन्ट्रल आर्गेनाइजेशन फॉर टेलीकॉम कन्सलटेंसी, शिवाजी ब्रिज, नई दिल्ली।
- (18) मुख्य खनन सलाहकार, रेल मंत्रालय, धनबाद।
- (19) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), मध्य रेलवे, मुंबई।
- (20) जनरल सेक्रेटरी, आईआरसीए, डीआरएम कार्यालय परिसर, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
- (21) महाप्रबंधक, सीएओ/एफ़ओआईएस कार्यालय, उत्तर रेलवे, क्रिस कैंप, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
- (22) मैसर्स बाहरी ब्रदर्स, 742, लाजपत राय मार्केट, पी.ओ. बॉक्स सं.2032, दिल्ली-06.

Co com

(एन.पी.सिंह) निदेशक,स्थापना(वेतन एवं भत्ता)

रेलवे बोर्ड

ईमेल आईडी: nirbhay.singh26@gov.in

सं. ई(पीएंडए)II-2023/पीपी-3

नई दिल्ली, दिनांक: [| .05.2023

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ।

2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर।

3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।

4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ।

5. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ।

सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन।

7. सचिव, भारतीय रेल क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन।

8. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन, नई दिल्ली।

9. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

10. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन।

11. सचिव, नॉन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन (रेलवे बोर्ड), रेल भवन, नई दिल्ली।

12. जनरल सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संघ, रेल भवन।

13. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिँएशन।

14. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं. 8, रेल भवन, नई दिल्ली।

15. आल इंडिया ओ.बी.सी. रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन।

16. जनरल सेक्रेटरी, रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी वेल्फेयर एसोसिएशन 490/ए/16, गुरद्वारा रोड, गुरुग्राम।

निर्देशकं/औद्योगिक संबंध रेलवे बोर्ड